

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 15/2023

अनवान : -

1. अरुण पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

2. जसविन्द्र सिंह पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सुमित्रा देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।

- तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

- उपस्थिति :-
1. श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
 2. श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण
- निर्णय दिनांक: 24.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 71/70 के प0न0 350/430 मु0न0 66 के किला नन0 13/1 की 0.2280 हैक्ट, 13/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, 14 ता 17 की 1.0120 हैक्ट, किला न0 18/1 की 0.2280 हैक्ट, 18/2 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 खाला, प0न0 352/430 मु0न0 67 के किला न0 6/2 की 0.1900 हैक्ट, 6/3 की 0.0380 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 7 ता 9 की 0.7590 हैक्ट भूमि किला न0 11 ता 12 की 0.506 हैक्ट कुल 2.9230 हैक्ट नहरी, 0.0500 हैक्ट गै0मु0 खाला, 0.0380 गै0मु0 रास्ता अर्थात कुल 3.0110 हैक्ट भूमि स्थित है जिसमें प्रार्थी का 11/30 हिस्सा, तरतीबी अप्रार्थी स0 2 का 1/15 हिस्सा, तरतीबी अप्रार्थी स0 3 का 1/2 हिस्सा व तरतीबी अप्रार्थी स0 4 का 1/15 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से सहखातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड दर्ज हे इसलिए इसलिए प्रार्थी का अप्रार्थीगण स0 2 ता 4 अपने हक व हिस्सा मुताबिक कब्जा काश्त की भूमि पर आवागमन करने हेतु रास्ता स्वीकृत करवा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण स0 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा व मुताबिक कब्जा काश्त आवागमन करने हेतु प0न0 352/430 के मु0न0 67 के किला न0 6/2 व 7, 8, 9 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर व किला न0 12 के कोने में पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण व किला न0 12 व 11 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर की ओर 1-1 बिस्वा गै0मु0 खाता दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।



प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प0न0 352/430 के मु0न0 67 उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गै0मु0 रास्ता से होते हुए अपने अपने हक व हिस्सा व कब्जा काशत की भूमि में आवागमन करने है जो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के सबसे नजदीक व सुविधाजनक रास्ता है।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त तरतीबी अप्रार्थीगण स0 2 व 3 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाता है तो हम तरतीबी अप्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। तरतीबी अप्रार्थीगण स0 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री मांगीराम बैनीवाल ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो तरतीबी अप्रार्थी स0 2 को कोई एतराज नहीं है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की उक्त रास्ता के संबंध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है अर्थात् प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई एतराज नहीं है अतः रोही मौजा 19 एनटीआर के खाता स0 71/70 के प0न0 352/430 के मु0न0 67 के किला न0 6/2 व 7, 8, 9 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर व किला न0 12 के कोने में पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण व किला न0 12 व 11 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर की ओर 1-1 बिस्वा गै0मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त रास्ता गै0मु0 दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों को सुना एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों को अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता 71/70 की कुल 3.0110 हैक्ट भूमि प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण स0 2 ता 4 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु उक्त रास्ता गै0मु0 दर्ज करवा चाहते है। सभी सहखातेदार यानि की प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण सहमत है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे रोही मौजा 19 एनटीआर के खाता स0 71/70 के प0न0 352/430 के मु0न0 67 के किला न0 6/2 व 7, 8, 9 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर व किला न0 12 के कोने में पूर्व की ओर उत्तर से दक्षिण व किला न0 12 व 11 के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर की ओर 1-1 बिस्वा गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-परलीका